भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6334

दिनांक 15.05.2012/ 25 वैशाख, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा हिन्दी

6334. श्री हरीश चौधरी:

श्री लालचन्द कटारिया:

श्री उदय प्रताप सिंह:

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजभाषा हिन्दी को सरलीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकारी कार्य में प्रयुक्त हिन्दी आम जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा जैसी है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने राजभाषा को अधिक उपयोगी सरल एवं ग्राह्य बनाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ड.) : राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरल और आसानी से समझ में आने वाली हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सलाह दी गई है कि (i) नोट और पत्र लिखने में आसान हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि यह आसानी से सभी की समझ में आ सके। यह महत्वपूर्ण है कि लिखने वाला वास्तव में जो व्यक्त करना चाहता है उसे पढ़ने वाला समझ सके; (ii) सरकारी कार्य में आमतौर पर समझ में आने वाले शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का देवनागरी में प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए; (iii) जहां कहीं यह महसूस हो कि पाठक को कोई विशेष तकनीकी शब्द अथवा पदनाम हिंदी में समझने में कठिनाई हो सकती है तो इसके अंग्रेजी पर्याय का देवनागरी में प्रयोग करना उचित होगा।